कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड उदयपुर (राज.) 313001

दुरभाष स.0294-2414165, 2421255, 2420013 Helpline no. 0294 2426262 ई.मेल commudr@gmail.com, garage.umc21@gmail.com

क्रमांकः– ननिउ/गैराज/2024–25/1340 दिनांकः– 24.01.25

सीमित निविदा सूचना

नगर निगम के वाहन संख्या RJ27UA6476 (Mahindra Jeep) में बॉडी फेब्रीकेशन एवं जनरल रिपेयरिंग के कार्य हेतु बिड आमंत्रित की जाती है। बीड से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम की वेबसाइट http://www.udaipurmc.org पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारम्भ दिनांक 24.01.2025 अन्तिम दिनांक 28.01.2025 समय 1.00PM बजे तक तथा खुलने की दिनांक 28.01.2025 समय 4.00PM बजे है। बिड की अनुमानित लागत 1.95 लाख रू. है।

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपिः–

1) अधिशाषी अभियन्ता विद्युत नगर निगम को प्रेषित कर लेख है कि निविदा का प्रकाशन SPPP पोर्टल व निगम की वेबसाइट पर करायें।
2) उक्त निविदा को SPPP पोर्टल पर दिनांक 24-01-25 को अपलोड कर दिया गया है। जिसके UBN no. .... है।

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

(निविदा सूचना संख्या 1340. दिनांक 24.10.25 के अन्तर्गत)

निविदा–प्रपत्र

कार्य का नाम :– नगर निगम के वाहन संख्या RJ27UA6476 (Mahindra Jeep) में बॉडी फेब्रीकेशन एवं जनरल रिपेयरिंग के कार्य।

1) निविदादाता का नाम व पता.....
.....

2) निविदादाता का जी.एस.टी. नं..... मो.न.....

3) निविदा प्रपत्र शुल्क 500 + 18 % = 590/- रूपये एवं रसीद सं./नकद/डी.डी. सं. संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा।

4) बोली प्रतिभुति राशि 3900/– रू. रसीद सं./नकद/डी.डी. सं. ..... दिनांक ..... द्वारा जमा।

5) निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभुति का डी.डी. आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

6) अनुमानित लागतः– 1,95,000/–

क.सं.	कार्य का विवरण	Unit	कार्य की दर समस्त कर सहित
1	Repairing work of vehicle number RJ 27UA6476 Mahindra jeep as per below mentioned scope of work :- Body fabrication, Gates, Locking arrangement, all types of lighting arrangements, electrical wiring, number plate, mud flap, wiper blades, mattings, denting-penting including spare & labors etc as per the instructions from engineer in charge.	Job work	दर अंको में:– .... दर शब्दों में:– ....

नोटः–

1. निविदा में संलग्न सभी शर्तें मान्य है।
2. निविदा में दरें जी.एस.टी. एवं अन्य समस्त करों सहित रहेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

(ई निविदा सूचना क्रमांक 1340 दिनांक 24.01.2025 के अन्तर्गत)

नगर निगम के वाहन संख्या RJ27UA6476 (Mahindra Jeep) में बॉडी फेब्रीकेशन एवं जनरल रिपेयरिंग के कार्य की नियम एवं शर्तेः—

1. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :— 90 (नब्बे) दिन बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FORFEIT नहीं की जा सकती। (नियम 48)
2. विलम्ब से प्राप्त बोलियॉं :— बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
3. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :— कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की **5 प्रतिशत** होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रर्फोमेन्स धरोहर राशि (BG/Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी। जो कार्य समाप्ति पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जायेगी।
5. बोली प्रतिभूति :— प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योंगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी उवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये एवं बोली प्रतिभुति हेतु बीड सिक्युरिटी घोषणा पत्र भी दिया जा सकता है, कृपया शर्त सं. अ सामान्य (3) देखे।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (Forfeit) कर दी जाएगी, अर्थात् :—
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

8. **उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–**

(1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।

(2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

(3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

9. **करार का निष्पादन :–**

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

10. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :–**

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी

- **संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और**

20. बीड के साथ 3900/– (अर्नेस्ट मनी) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके बिना बीड पर विचार नही किया जाएगा। यह राशि आयुक्त नगर निगम उदयपुर के पक्ष में शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जानी चाहिए।
21. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण करेगा।
22. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बीड में निर्धारित साईज के पूर्णतया अनुरूप होगी।
23. कार्य की में छः माह की गारण्टी दी जाएगी तथा बीडर गारण्टीकृत अवधि में सामान/पुर्जो को बदलेगा या किसी भी निर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हे वैसा पाया जाएगा ताकि वाहन ठीक काम कर सकें। बीडर लगाये गये सामान को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोष पूर्ण पाये जाएं कि निर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हे काम में नहीं लिया जा सकता हो।
24. निरीक्षण या परिक्षण के दौरान जो वस्तुए अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा बीडर द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा।
25. रद्द की गयी वस्तुओं को बीडर उन्हे रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उतरदायी नहीं होगा तथा उसे बीडर की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
26. सफल निविदादाता द्वारा कार्य निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन एवं वाहन के मेक अनुसार ही कार्य सम्पादित करना होगा। तत् पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
27. नियत समयावधि में कार्य नही करने पर सम्बंधित के विरूद्ध प्रतिदिन राशि 100/– की शास्ति आरोपित की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
28. सशर्त निविदा मान्य नहीं है।
29. सभी विवादों का न्यायायिक क्षैत्र उदयपुर ही रहेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम, उदयपुर